

मध्य रेल

पूर्ण कालिक आधार पर कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रॅक्टिसनर की नियुक्ति। प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक इन इंटरव्यू) अधिसूचना संख्या एसयूआर/पी/गॅज./सीएमपी ऑफ 2019 दि.: 06.11.2019 नीचे निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों में से ओपन मार्केट द्वारा मध्य रेल सोलापुर मंडल रेलवे अस्पताल और उप मंडल रेलवे अस्पताल कुडुवाडी में जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रॅक्टिसनर / स्पेशलिस्ट के पद पर चयन के लिए मैं प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया गया है।

ओपनह मार्केट से जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रॅक्टिसनर/स्पेशलिस्ट के लिए : कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से नियुक्ति पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक वर्ष या उससे कम की अवधि के लिए होगी, जिसे वर्ष दर वर्ष के आधार पर नए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि अवधि का विस्तार करना मंडल रेल प्रबंधक के अधिकार में है, जिसका 12 टर्म से अधिक विस्तार नहीं किया जाएगा या ऐसे समय तक जब तक यूपीएससी द्वारा चयनित डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो जाते, जो भी पहले हो।

रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों से कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रॅक्टिसनर के लिए : नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से एक वर्ष की अवधि या उससे कम अवधि के लिए पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होगी। जिसे वर्ष दर वर्ष के आधार पर नए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नवीनीकृत किया जा सकता है, 07 वर्ष से अधिक अवधि या 67 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा या जब तक यूपीएससी द्वारा चयनित डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो जाते, जो भी पहले हो। सीएमपी के रूप में नियुक्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जो केवल पेंशनभोगी नहीं हैं) से सेवानिवृत्त डॉक्टरों का समावेश भी किया जाएगा।

(संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.10.2019 का पत्र संख्या 2013/ई(जीआर)II/1/5)

रिक्तियां : कुल अधिसूचित रिक्तियां 03 हैं, जिसे ओपन मार्केट द्वारा रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों में से पद भरे जाएंगे।

मंडल	आवश्यकता	कुल
मंडल रेल अस्पताल, सोलापुर	सीएमपी (अर्थोपेडिक/स्पेशलिस्ट = 01, सीएमपी (अनेस्थेतिस्ट /स्पेशलिस्ट = 01	02
उप मंडल रेलवे अस्पताल कुर्दुवाडी	सीएमपी (जीडीएमओ) = 01	01

भर्ती नियम के अनुसार यूआर, एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों में आरक्षण का प्रतिशत बनाए रखा जाएगा।

टिप्पणी :

01. पदों की संख्या और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। प्रस्ताव नियुक्ति के समय उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होगा।

02. इस अधिसूचना में उल्लिखित पद प्रशासन के विवेका नुसार रिक्त रखे जा सकते हैं।

03. रेलवे बोर्ड के दिनांक 16.07.2012 के पत्र संख्या 9 / ई (जीआर) ॥ / 9/16 के अनुसार निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार 15 दिनों की सूचना देकर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान किसी भी समय रेलवे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकता है।

04. सीएमपी जो रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट की अवधि की सेवा या अपने आप कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार या सेवा में नियमितता के लिए कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। पूर्णकालिक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को यूपीएससी के माध्यम से नियमित चयन में उनकी अवधि पर विचार करने के संबंध में कोई असर नहीं होगा, ना ही यह किसी भी अधिकार या नियमित करने या समावेश करने का अधिकार नहीं होगा।

05. पात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आवश्यक जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी उम्मीदवारों को उपयुक्त प्राधिकारियों से केंद्र सरकार के प्रारूप में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे क्रीमी लेयर के नहीं हैं।

06. रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के स्पेशॅलिस्ट और सेवानिवृत्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, ओपन मार्केट द्वारा जीडीएमओ (जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रॅक्टिशनर (अधिकारी)) से रिक्त पद भरे जाएंगे।

ख. पारिश्रमिक:

(क) ओपन मार्केट उम्मीदवारों के लिए :

मासिक शुल्क

जीडीएमओ : Rs 75,000/- प्रति माह

पूर्ण कालिक स्पेशॅलिस्ट {
Rs 95,000/- प्रति माह (पहले वर्ष)
Rs 1.05, 000/- प्रति माह

(दूसरे वर्ष से आगे)

ऊपर दिए गए पारिश्रमिक में पूर्णकालिक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों के मामले में एचआरए के रूप में निम्नलिखित राशि शामिल है।

01. जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रॅक्टिशनर : Rs 5250/-*

02. स्पेशॅलिस्ट : Rs 6838/-*

* यदि रेलवे आवास आबंटित किया जाता है, तो उपलब्ध कराए गए आवास का एचआरए और लाइसेंस शुल्क की संबंधित मेडिकल प्रॅक्टिशनर के लिए स्वीकार्य मासिक शुल्क से कटौती की जाएगी ।

* परिवार के साथ एक मानार्थ पास (एसी II) प्रदान किया जाएगा
ख. रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए:

सीएमपी के रूप में नियुक्त रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए	75000 / - रुपये प्रतिमाह (रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों द्वारा लिया गया पारिश्रमिक + पेंशन अंतिम प्राप्त किए गए वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए)
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सीएमपी के रूप में नियुक्त रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों को उन स्थानों पर रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जहां रेलवे के अधिकारियों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करने के बाद रेलवे डॉक्टरों के लिए रेलवे आवास खाली / उपलब्ध है। यदि कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर (रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टर) को रेलवे आवास आबंटित किया जाता है, तो रेलवे आवास के लाइसेंस शुल्क के लिए समूह 'ए' जूनियर स्केल के रूप में नियुक्त के लिए देय एचआरए के समान राशि प्रदान की जाएगी और लाइसेंस शुल्क की कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर को देय मासिक पारिश्रमिक से कटौती की जाएगी।

ग. आयु:

(i) ओपन मार्केट : दिनांक 06.11.2019 को 50 वर्ष से अधिक ना हो

आयु में शिथिलता एससी/एसटी/एक्स सर्विसमैन के लिए 05 वर्ष और ओबीसी के लिए 03 वर्ष

(ii) रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए

दिनांक 06.11.2019 को 67 वर्ष से अधिक ना हो

घ. शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हता :

(i) जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रैक्टिशनर :

1. मेडिसिन में डिग्री अर्थात, मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस, तीसरे शेड्यूल के पहले या दूसरे अनुसूची या भाग ग्यारह में शामिल, (भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के लिए लाइसेंस योग्यता के अलावा), शैक्षिक योग्यता के धारक तीसरे अनुसूची के भाग II में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के चयन 13 (3) में निर्धारित शर्त को भी पूरा करना चाहिए।

2. उम्मीदवारों को संतोषजनक रूप से अनिवार्य रोटेटर इंटरशीप भी पूरा करना चाहिए।

(ii) स्पेशलिस्ट के लिए :

1. मेडिसिन में डिग्री अर्थात मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस

2. मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय / क्षेत्र में स्नातकोत्तर योग्यता

3. साक्षात्कार की तारीख को संबंधित विशेषता में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्लिनिकल कार्य में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए

(ड) राज्य / केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि के अधीन सेवारत डॉक्टरों द्वारा संबंधित संगठनों से जारी तारीख से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ आवेदन किया जा सकता है।

(च) डॉक्टरों को आवेदन करते समय भारतीय रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट की सेवा प्रदान की गई हो तो उसके साथ उन्हें पूरे भारतीय रेल पर प्रदान की गई कॉन्ट्रैक्ट की अवधि का उल्लेख करना चाहिए।

(छ) उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन के साथ और सभी मूल प्रमाण पत्र / प्रशंसापत्र, विधिवत रूप से प्रमाण पत्र / प्रशंसापत्र की साक्ष्यांकित प्रतियाँ संलग्न करते हुए प्रत्यक्ष साक्षात्कार के लिए नीचे दर्शाई गई तारीख और स्थान को :
10.00 बजे से 13.00 बजे के बीच उपस्थित होना होगा। (कृपया इस संबंध में वेबसाइट देखें)

दिनांक	समय	स्थान
27.11.2019	10.00 hrs	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, मंडल रेल अस्पताल, सोलापुर मध्य रेल, सोलापुर

टिप्पणी : नियत तारीख को प्रत्यक्ष साक्षात्कार यदि पूरा न होता हो तो अगले दिन जारी रहेगा।

प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक-इन इंटरव्यू) की विस्तृत जानकारी के लिए और आवेदन डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.cr.indianrailways.gov.in > About us > Solapur Division > Personnel > Recruitment > Contract Medical Practitioner – 01 of 2019 पर संपर्क करें।

ओपन मार्केट से जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रॅक्टीशनर / स्पेशॅलिस्ट (पूर्ण कालिक) रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों से सीएमपी

पद जिसके लिए आवेदन किया जाना है :

1. जीडीएमओ / स्पेशॅलिस्ट (ओपन मार्केट)

सीएमपी (रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टर

फोटो

1	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में, कुलनाम से प्रारंभ करते हुए)	
2	पिता/पत्नी का नाम	
3	समूह (अजा/अजजा/ओबीसी/सामान्य)	
4	पुरुष/स्त्री	
5	विवाहित/अविवाहित	
6	जन्म तारीख	
7	आयु : ओपन मार्केट के लिए दि. 06.11.2019 के अनुसार ii) रेलवे, राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए दिनांक 06.11.2019 को 65 वर्ष से अधिक ना हो	

8	शैक्षिक/ व्यावसायिक अर्हता			
9	प्राप्त अंतिम वेतन (रेलवे, राज्य एवं केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए			
10	दि.06.11.2019 को प्राप्त पेंशन (रेलवे, राज्य एवं केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए)			
11	एमबीबीएस पूरा करने की तारीख			
12	यदि कोई अतिरिक्त अर्हता हो, तो (पास करने का वर्ष भी उल्लेख किया जाए)			
13	इंटरनशीप पूरा करने की तारीख			
14	मेडिकल कॉन्सिल रजिस्ट्रेशन नंबर एवं तारीख			
15	इंटरनशीप / पीजी या डिप्लोमा पूरा करने के पश्चात अनुभव यदि कोई हो तो	क्र सं	संगठन का नाम जहां कार्य किया गया है	वर्षों की संख्या

16	भारतीय रेल पर विगत में संविदा पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में उसके पहले क्या कार्य किया है, यदि हो तो उसका विवरण लिखें।		
17	एमबीबीएस में प्रयासों की संख्या	पहला वर्ष	
		दूसरा वर्ष	
		तीसरा वर्ष	
18	स्थायी पता (स्पष्ट अक्षरों में) पिन कोड एवं टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ		
20	पत्राचार का पता (स्पष्ट अक्षरों में) पिन कोड, टेलीफोन/मोबाइल नंबर एवं ई मेल आईडी के साथ		
21	प्रमाणपत्रों की साक्ष्यांकित प्रतियां जोड़ा जाएं।	क	एमबीबीएस प्रमाणपत्र/बीडीएस प्रमाणपत्र तथा उच्चतर यदि कोई मेडिकल अर्हता हो तो उसका डीग्री प्रमाणपत्र
		ख	इंटरनशीप प्रमाणपत्र
		ग	एमबीबीएस / बीडीएस एवं पीजी का गुणपत्र
		घ	एमबीबीएस/बीडीएस/पीजी में प्रयासों की संख्या दर्शाने वाला प्रमाणपत्र
		ड	आयु के सबूत के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
		च	यदि अजा/अजजा/ओबीसी से संबंधित हो तो जाति का प्रमाणपत्र
		छ	अनुभव प्रमाणपत्र यदि कोई हो तो

ज	मेडिकल कॉन्सिल रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र
झ	पेंशनर का विवरण (रेलवे, राज्य एवं केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए)
ट	सेवा प्रमाणपत्र (रेलवे, राज्य एवं केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए)
ठ	दि.30.06.2016 को प्राप्त अंतिम वेतन एवं पेंशन के अनुसार (रेलवे, राज्य एवं केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए)
त	वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र
थ	दो नूतन पासपोर्ट साइज के फोटो

स्थान :

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

दिनांक :